राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या –1983/2010/अजमेर.
2. अपील संख्या –1984/2010/अजमेर.
3. अपील संख्या –1985/2010/अजमेर.
4. अपील संख्या – 304/2011/अजमेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री सीमेन्ट प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्रा0 लिमि., जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :13.03.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये चारों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 8/05–06/सी/ब्यावर, 197/05–06/सी/ब्यावर, 24/07–08/सी/ब्यावर में पारित किये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 09.03.2010 एवं 16/10–11/वैट/ब्यावर में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2002–03, 2003–04, 2004–05 व 2005–06 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 29 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक क्रमशः 04.03.2005, 03.02.2006, 05.03.2007 एवं 29.09.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. चारों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से चारों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की उपरोक्त आलौच्य अवधियों के नियमित कर निर्धारण आदेश में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 81—18 दिनांक 06.05.1986 के अनुरुप आंशिक मुक्ति (Partial Exemption) का लाभ इस आधार पर नहीं दिया गया था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने राज्य सरकार की एक अन्य अधिसूचना संख्या 99—266 दिनांक 21.01.2000 का भी लाभ प्राप्त किया था एवं दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट शर्त दी गयी थी कि जो व्यवहारी इस अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 का लाभ प्राप्त करेंगे उन्हें एक अन्य अधिसूचना दिनांक 6.5.1986 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार में घोषणा पत्रों **सी** के समर्थन के बिना सीमेंट पर कर दर 6 प्रतिशत की गयी थी। उक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इसका लाभ प्राप्त किया गया था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 6.5.1986 का लाभ नहीं दिया गया, उसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों के परीक्षण पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को उक्त अवधियों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.2008 को संशोधन आदेश के जरिये अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 का दिया गया लाभ निरस्त कर दिया गया था एवं बिना घोषणा पत्रों के विक्रय पर पूर्ण कर दर से करारोपण कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में चूंकि दिनांक 10.06.2008 एवं 29.09.2008 के आदेशों में जब दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना का लाभ समाप्त कर दिया गया था। अतः अपीलें स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर अधिसूचना दिनांक 6.5.1986 का लाभ देने हेतु निर्देशित किया गया था।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट अंकित है कि जिन व्यवहारियों को इस अधिसूचना का लाभ प्राप्त होगा, उन्हें अधिसूचना दिनांक 06.05.86 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। व्यवहारी द्वारा उक्त अधिसूचना के तहत बिना घोषणा पत्र 'सी' के 6 प्रतिशत की दर से सीमेंट का विक्रय किया गया है ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का

लगातार.....3

लाभ नहीं दिये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति का परीक्षण किये बगैर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 का लाभ संशोधन आदेशों के जरिये निरस्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी का यह तर्क उचित नहीं है कि व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 का लाभ ले लिये जाने के कारण अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का लाभ देय नहीं है। उन्होनें कथन किया कि वर्ष 2002—03, 2003—04 एवं 2004—05 के प्रथग बार कर निर्धारण आदेश में दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना का लाभ नहीं दिया गया था परन्तु बाद में इन वर्षों में संशोधन आदेशों के जरिये दिनांक 21.01.2000 का लाभ समाप्त कर दिया था, तब स्वतः ही दिनांक 06.05.1986 की अधिसूचना का लाभ दिया जाना विधिसम्मत हो गया था। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2010 को पुनः आदेश पारित कर दिये जाने के कारण प्रस्तुत अपीलें निष्प्रभावी हो गयी हैं। अतः विभागीय अपीलें स्वतः ही खारिज योग्य हो जाती हैं।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधियों के मूल कर निर्धारण के लिये प्रस्तुत किये गये विवरण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 के तहत बिना 'सी' फॉर्म की गयी अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर 6 प्रतिशत का लाभ लिया था, साथ ही आलौच्य अवधियों में राज्य के बाहर ब्रांच ट्रांसफर को कम करते हुये, बढ़ी हुई बिक्री पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 में वर्णित आंशिक कर छूट लाभ का भी क्लेम किया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 में वर्णित शर्त संख्या—3 के आधार पर दिनांक 06.05.1986 की अधिसूचना के तहत प्रस्तुत क्लेम अस्वीकार किया था।

लगातार.....4

इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सी. एस.टी.आर. नं0 613/2005 **मैसर्स लक्ष्मी सीमेन्ट** बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, पाली निर्णय दिनांक 17.04.2009 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कोई भी व्यवहारी जो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 का लाभ ले रहा है, उसी वित्तिय वर्ष में राज्य सरकार की अन्य अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। परन्तु उक्त प्रकरणों के तथ्यों में यह तथ्य प्रकट है कि केन्द्रीय अधिनियम, 1956 में दिनांक 11.05.2002 को संशोधन हो जाने से बिना सी फार्म के कम कर दर देने का प्रावधान ही समाप्त हो गया था अतः कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2002—03, 2003—04 एवं 2004—05 के कर निर्धारण आदेशों को दिनांक 10.06.2008 को संशोधित कर दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना का लाभ निरस्त कर बिना सी फार्म वाली बिक्री पर 6 प्रतिशत के स्थान पर पूर्ण कर दर से करारोपण कर दिया था। इसी तरह वर्ष 2005—06 के कर निर्धारण आदेश जो दिनांक 29.09.2008 को पारित किया था उसमें भी दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना का लाभ नहीं देकर बिना घोषणा पत्र समर्थित बिक्री पर पूर्ण कर दर से करारोपण कर दिया था। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना का लाभ तो समाप्त कर दिया परन्तु दिनांक 06.05.1986 का लाभ दिनांक 10.06.2008 एवं दिनांक 29.09.2008 के आदेश में इस आधार पर देने से इन्कार किया कि दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना का लाभ हालांकि निरस्त किया गया है परन्तु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.05.2008 की एक अन्य अधिसूचना के जरिये बिना सी फार्म के कारण सृजित मांग को अपलेखित (Write Off) कर दिया है। अतः यह माना कि अन्य तरह से दिनांक 21.01.2000 का लाभ मिल गया है। अतः दिनांक 06.05.1986 का लाभ देने का अनुरोध निरस्त कर दिया।

कर निर्धारण अधिकारी का उक्त निर्णय विधि एवं अधिसूचना के विरुद्ध था, क्योंकि जब दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना का लाभ उक्त वर्षों में अस्वीकार करने के आदेश कर दिये गये थे, ऐसी स्थिति में इस अधिसूचना में वर्णित शर्त कि दिनांक 06.05.1986 की अधिसूचना का लाभ नहीं मिलेगा सारहीन हो चुकी थी। अतः दिनांक 06.05.1986 की अधिसूचना अनुसार आंशिक छूट देने का अपीलीय निर्णय विधि के अनुकूल है। यह टिप्पणी करना भी आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.05.2008 से जो मांग अपलेखित की गई है वह निश्चित रुप से व्यवसाइयों को एक अलग लाभ दिया गया है

लगातार.....5

एवं इस अपलेखन की अधिसूचना दिनांक 13.05.2008 में यह शर्त नहीं है कि जिन्हें अपलेखन का लाभ प्राप्त होगा उन्हें दिनांक 06.05.1986 की अधिसूचना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना का लाभ प्राप्त नहीं होने से दिनांक 06.05.1986 की अधिसूचना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। दिनांक 13.05.2008 की अधिसूचना में मांग राशि को अपलेखित करना अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 का लाभ देना नहीं है, बल्कि यह अधिसूचना दिनांक 13.05.2008 का अलग लाभ है। अतः कर निर्धारण अधिकारी का यह मत विधिसम्मत नहीं है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 का लाभ प्राप्त किया गया है।

9. उपरोक्त स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का लाभ प्रदान करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। इसी तरह अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 29(8)(बी) के तहत अपील प्रभाव देते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.12.2010 को पारित किये जा चुके हैं।

10. प्रकरण की उपरोक्त विवेचित विधि एवं तथ्यों के आलोक में राजस्व द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

11. निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य